

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266520
SG-DL-E-29092025-266520असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/ आश्विन 7, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 256
No. 42]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ ASVINA 7, 1947	[N. C. T. D. No. 256

भाग II
PART IIराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय

अधिसूचना

दिल्ली, 27 सितम्बर, 2025

फा.सं.80/नियम/डीएचसी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, खंड V के अध्याय 5 के भाग ख में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के खंड V के अध्याय 5 के भाग ख के नियम 2 के विद्यमान उपनियम (vi) के बाद निम्नलिखित उपनियम (vii) जोड़ा जाएगा:-

vii. ब्रेल लिपि में मुद्रित प्रतियों का प्रदान करना - न्यायिक अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का हकदार कोई भी व्यक्ति ब्रेल लिपि में मुद्रित अप्रमाणित या प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन कर सकता है।

नोट: यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 27th September, 2025

F. No. 80/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendment in Part B of Chapter 5 of the High Court Rules & Orders, Volume V:-

The following sub rule (vii) shall be inserted after the existing sub rule (vi) of Rule 2 of Part B of Chapter 5 of Volume V of the High Court Rules & Orders:-

vii. Grant of Braille printed copies. Any person entitled to obtain a copy of a judicial record may apply for an uncertified or certified copy printed in Braille.

NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By order of this Court

ARUN BHARDWAJ, Registrar General